



भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) भोपाल

निर्माण सदन कमरा नं0 206, 52 ए अरेरा हिल्स ,भोपाल 462 011 दूरभाष व फैक्स नं0 0 7 5 5 2 5 5 3 1 4 9

Email [riocentralbhopal@gmail.com](mailto:riocentralbhopal@gmail.com) / [ddimpilbho-mp@nic.in](mailto:ddimpilbho-mp@nic.in)

सं 19 /1/18/क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भोपाल/

अप्रैल 12 / 2018

सेवा में

अध्यक्ष,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ |

**विषय :-** नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति के संबंध में |

महोदय,


भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग मुख्यालय नई दिल्ली के विधान निदेशों के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय संसदीय राजभाषा समिति नई दिल्ली बड़ी गंभीरता से लेती है। कार्यालय प्रमुखों की अनुपस्थिति के संबंध में बार - बार इस कार्यालय द्वारा पत्राचार भी किया जाता है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष से आग्रह है कि वे अपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का कैलेण्डर एवं सदस्य सचिव का दूरभाष / मोबाइल नम्बर भी कृपया सदस्य कार्यालयों में परिचालित करा दें। कुछ कार्यालय प्रमुखों द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों से उनकी कार्यालयीन व्यस्ताओं अथवा मुख्यालय से बाहर रहने के कारण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में उपस्थिति से संबंधित छूट मांगी जाती है। कुछ कार्यालयों द्वारा इसे बार - बार प्रयोग में लाया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। कार्यालय प्रमुखों को एक अथवा दो बार ही इन बैठकों में उपस्थित होने से संबंधित छूट प्रदान की जा सकती है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग मुख्यालय नई दिल्ली सहित संसदीय राजभाषा समिति नई दिल्ली द्वारा अनुपस्थित कार्यालय प्रमुखों से लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है अतः इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह अनिवार्य है कि नगर समितियों की बैठकों में कार्यालय प्रमुख स्वयं उपस्थित रहें।

इसी प्रकार, कुछ सदस्य कार्यालयों द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ऑन लाइन सूचना प्रणाली के माध्यम से ट्रैमासिक रिपोर्ट भी प्रेषित नहीं की जा रही है। सदस्य कार्यालयों को भी इस आशय की सूचना अवश्य दी जाए कि वे अपने - अपने प्रतिष्ठानों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित ट्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों की अंदर इस<sup>2</sup> कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑन लाइन प्रेषित करने संबंधी दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न

है। अनुरोध है कि आप अपनी ओर से सदस्य कार्यालयों को यह पत्र परिचालित करें तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस भवदीय कार्यालय को श्री कृपया अवगत कराएं।


संलग्नक : यथोक्त,

  
( हरीश सिंह चौहान )

सहायक निदेशक ( कार्यान्वयन ) एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि १ ( 1 ) सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली 110 011 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

( 2 ) निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी बिल्डिंग 2, बी ब्लॉक, चतुर्थ तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली 110 001 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
कार्यालयाध्यक्ष